| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/सीलिंग/2808/2005/जोधपुर**<br>**किशनसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

एकलपीठ

डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर ,सदस्य

उपस्थितः–

श्री बलवीर चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री खुर्शीद अनवर, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 2–2–2023

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 जिला कलेक्टर, जोधपुर पारित निर्णय दिनांक 3–4–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 286/70 में दिनांक 9–11–1971 के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानकर प्रकरण समाप्त कर दिया। किन्तु राज्य सरकार के हितों के विपरीत होने पर इसे पुनः रिओपन कर प्रकरण जिला कलेक्टर को प्रेषित किया गया जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 3–4–2001 द्वारा जांच कर अप्रार्थीगण के पास कुल 1798 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने कारण अधिग्रहण के आदेश पारित कर भूमि सरकार के खाते में दर्ज कर कब्जा सरकार में लिए जाने के आदेश पारित किए । जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–4–2001 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई ।

4– अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने सर्वप्रथम अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा माह मई 2005 में देने पर हुई उसके बाद दिनांक 28–5–2005 को नकल प्राप्त हुई ।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/सीलिंग/2808/2005/जोधपुर**<br>**किशनसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। इस कारण अपील पेश करने में जो देरी हुई है, उसे क्षमा कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे। उन्होंने बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एंव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलाण्ट स्व. छगनसिंह व आईदान के वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है। वह इन दोनों के देहांत के उपरांत पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा मृत व्यक्तियों के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की गई । यह प्रकरण तहसीलदार द्वारा दर्ज कराया था। इसलिए तहसीलदार को मृत व्यक्तियों के स्थान पर उनके वारिसान को नोटिस देकर कार्यवाही करनी चाहिए थी। इस प्रकरण में दिनांक 29–12–70 को जो प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था। उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या व जो भूमि हस्तांतरण की गई उसका विवेचन किया। प्रकरण को बार–बार खोले की कार्यवाही की गई है, वह गलत है। प्रकरण को एक बार निस्तारण हो जाने के बाद दुबारा खोलने की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार यह प्रकरण मरे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य हैं। अतः अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे ।<br><br>5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रस्तुत अपील मियाद बाहर तथा देरी का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत् मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, जो इसी स्तर पर खारिज की जावें। आगे कथन किया कि अधीनस्थ अपीलय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । उनका कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा किए गए हस्तांतरण अवैध होने से मान्य नहीं होने से सीलिंग से प्रभावित होने से सीलिंग में लिए जाने योग्य मानकर भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किए है एवं भूमि का कब्जा सरकार में प्राप्त कर भूमि सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/सीलिंग/2808/2005/जोधपुर**<br>**किशनसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

अतः अपील खारिज की जावे ।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7– सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में इस बाबत् कोई उल्लेख नहीं किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3–4–2001 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में दिनांक 6–6–2005 को लगभग 4 वर्ष 2 माह उपरान्त अपील प्रस्तुत की है। मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में निर्णय तिथि की जानकारी से अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 6–6–2005 तक की समयावधि बाबत् पर्याप्त, सन्तोषप्रद एवं सद्भाविक कारण अंकित नहीं किये गये है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर उसी दशा में सहानुभूतिपूर्ण रूख अपनाया जा सकता है। जब प्रार्थनापत्र में दिन–प्रतिदिन की देरी बाबत् कारण दर्शाये गये हों तथा प्रार्थनापत्र में उल्लेखित कारण पर्याप्त एवं सद्भाविक हो। अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में दिन प्रतिदिन की देरी बाबत् पर्याप्त, सन्तोषप्रद एवं सद्भाविक कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आरआरडी 2011 पेज 228 पर उद्धरित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि –

Limitation Act, Section 5 - Delay of 1088 days in filing second appeal - Held, delay in filing appeal not satisfactorily explained - No substantial question of law involved in the appeal.

उक्त नजीर प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णरूपेण चस्पा होती है। इस प्रकरण में भी लगभग 1520 दिन की देरी से अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए अत्यधिक विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि इस प्रकरण में अपीलाण्ट स्वयं आईदान व छगनसिंह के वारिसान है तथा प्रकरण निस्तारण करते समय इन्हें परिवार के सदस्य माने गए है । अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलाण्ट को सीलिंग

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/सीलिंग/2808/2005/जोधपुर**<br>**किशनसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

प्रकरण के विचाराधीन होने की कोई जानकारी नहीं रही हो । इस प्रकार धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्य मियाद अवधि विस्तारित करने के समुचित कारण या आधार नहीं है । अतः अपील मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। यही तथ्य ए.आई.आर. 1997 एस सी पृष्ठ 1390 पर अभिनिर्धारित किया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, उसे प्रतिदिन की देरी का स्पष्टीकरण देना होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया गया हो, वहाँ धारा 5 का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। जैसा कि ए.आई.आर. 2022 एससी पृष्ठ 4403 पर यह अभिनिर्धारित किया है कि–

(B) limitation Act (36 of 1963), S.5 – Condonation of delay – Condition precedent – Sufficient cause – Ex- plained.

"Condition precedent for condonation of the delay in filing an application or appeal, is the existence of sufficient cause. Whether the explanation furnished for the delay would constitute " sufficient cause" or not would be dependent upon facts of each case. There cannot be any straitjacket formula for accepting or rejecting the explanation furnished by the Appellant/applicant for the delay in taking steps. When an appeal is filed against an order rejecting an application on the ground of limitation, the onus is on the Appellant to make out sufficient cause for the delay in filing the application."

8– फलस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है । जिला कलेक्टर, जोधपुर का आदेश दिनांक 3–4–2001 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील/सीलिंग/2808/2005/जोधपुर**<br>**किशनसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |